

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-

1007

/ पटना, दिनांक-

12-7-12

विषय-

उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित संकल्पों/ निर्णयों/ प्रोत्साहनों/ अधिसूचनाओं के स्पष्टीकरण हेतु समिति का गठन।

उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित संकल्पों/ निर्णयों/ प्रोत्साहनों/ अधिसूचनाओं/ परिपत्रों के स्पष्टीकरण हेतु एक समिति का गठन किया जाता है, जो निम्न प्रकार होगा :-

1-	विकास आयुक्त, बिहार, पटना-	अध्यक्ष
2-	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना-	सदस्य
3-	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना-	सदस्य
4-	प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना-	सदस्य
5-	प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना-	सदस्य
6-	प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना-	सदस्य
7-	प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना-	सदस्य
8-	प्रबंध निदेशक, बिआडा, पटना-	सदस्य
9-	निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना-	सदस्य सचिव

समिति राज्य सरकार के सभी विभागों के द्वारा निर्गत राज्य के औद्योगिक विकास से संबंधित सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/निर्णयों/प्रोत्साहनों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण देने के लिए सक्षम होगी। साथ ही समिति द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा जो अधिसूचनाएँ निर्गत की गई है, उनकी व्याख्या/स्पष्टीकरण आवश्यकता पड़ने पर करेगी, जो सभी विभागों को मान्य होगा। तदुपरांत व्याख्या/स्पष्टीकरण से संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचनाएँ निर्गत किए जायेंगे।

समिति को यह अधिकार होगा कि जिन मामलों में वह उचित समझे कि व्यवसाय/उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि एवं विषय से संबंधित अन्य किसी पदाधिकारी या विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो समय-समय पर समिति की बैठक में उन्हें आमंत्रित कर उनका पक्ष प्राप्त कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आलोक कुमार सिन्हा),

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।